भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *237
04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

***237. श्री दुलू महतो:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए जेवर विमानपत्तन के संवेदनशील पुनर्वास मॉडल, जिसने विस्थापित हुए व्यक्तियों को प्रगति में सच्चा भागीदार बना दिया है, की तर्ज पर एक समान और मानवीय दृष्टि से अनुकूल नीति बनाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ख) उक्त उपक्रमों की स्थापना के बाद से दशकों से लंबित विस्थापन से जुड़े मामलों का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल रूप से विस्थापित परिवारों और अन्य वर्गों की ऐसी कितनी पीढ़ियां हैं जो अभी भी पुनर्वास और आजीविका/रोजगार सुविधा से वंचित हैं।

(घ) क्या सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) के बोर्ड स्तर पर भूमि और श्रम संबंधी मुद्दों के समाधान के प्रति उपेक्षापूर्ण और कठोर रवैये से उक्त महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त विवादों के शीघ्र समाधान और उपक्रमों के प्रभावी कार्यकरण के लिए सरकार की ठोस कार्य योजना क्या है ताकि राष्ट्र निर्माण में विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) से (ङ): विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास" के संबंध में श्री दुलू महतो, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए प्रस्तुत किए गए लोक सभा तारांकित (*) प्रश्न संख्या *237 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल), संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहित भूमि पर प्रचालनरत हैं। विस्थापित परिवारों का पुनर्वास संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से, उस समय प्रचलित नीतिगत फ्रेमवर्क के अनुसार किया गया है तथा उसे पूरा किया जा चुका है। इसके बाद, प्रमुख विस्तार गतिविधियां मुख्य रूप से संबंधित इस्पात पीएसयू के पास उपलब्ध मौजूदा भूमि के भीतर ही की गई हैं।

पुनर्वास संबंधी लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है। पुनर्वास उपायों के अंतर्गत, विस्थापित श्रेणी के तहत 35,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित किसी भी मुद्दे का संबंधित इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से, लागू नीति और कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार निपटान किया जाता है।

****